न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—176/2019/223 (2019/00176)

1. गजराज सिंह पुत्र अन्ना, जाति रावत, निवासी ग्राम लाडपुरा (देवास), तह. मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गिरधारी पुत्र दल्ला,
2. भोमसिंह पुत्र दल्ला,
3. जेठा पुत्र दल्ला,
4. श्रीमती धापू पत्नि नंदा,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम लाडपुरा (देवास) तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती स्वरूपी पत्नि दीपसिंह, जाति रावत, निवासी देदेपुरा रेल का बाडिया, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
6. श्रीमती गंगा पुत्री हरलाल पत्नि जगदीश, जाति रावत, नि0 बिजयनगर रोड़, दादाबाड़ी के पास, रावत नगर, ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा हाल तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 3.6.2010 अंतर्गत वाद संख्या 46/2006.

उपस्थितः—

1. श्री शबाबुद्दीन खान, वकील अपीलांट ।
2. श्री सूरजसिंह चौहान, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 .
3. रेस्पो0 संख्या 5 व 6.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 30.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि साबिक खसरा नंबर 355 रकबा 46 बीघा जिसके मूल खातेदार नंदा, देवा, हरलाल पिता भ्जूरा रावत, निवासी ग्राम लाडपुरा खातेदार थे जिसमें से अपीलांट गजराज सिंह के पिता अन्नासिंह पुत्र गुगाना रावत द्वारा दिनांक 24.12.1975 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 20 बीघा भूमि क्रय कब्जा/पापत कर लिया । साबिक खसरा नंबर 355 के हाल खसरा नंबर 355/1 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा 5 बिस्वांसी अपीलांट के नाम अंकित हो गया । दूसरा खसरा नंबर 355/2 बना अर्थात् शेष रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा 15

बिस्वांसी अपीलांट के नाम अंकित होने से रह गयी जो शेष रकबा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के नाम गलत रूप से अंकित हो गया । खसरा नंबर 355/2 रकबा 35 बीघा 15 बिस्वा 5 बिस्वांसी विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के नाम गलत अंकित होने से अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 वाद संख्या 39/2015 शेष रकबे की पूर्ति करने हेतु अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष पेश किया जो उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में विचाराधीन है । इसी विवादित भूमि बाबत् रेस्पो0 संख्या 5 स्वरूपी ने भी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 तथा धारा 183 का प्रस्तुत कर दिया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा दिनांक 3.6.2010 को विवादित आराजी के संबंध में बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना तथा बिना अपीलांट की सहमति के हस्ताक्षर के आपस में मिलकर सहमति के आधार पर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 द्वारा डिक्री करवा लिया तथा अपीलांट का रकबा मौके व रिकार्ड में कम कर दिया । जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी । तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने वादिया/रेस्पो0 संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0 बिना अपीलांट को सुने स्वीकार कर संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.2011 को पारित कर दी । उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश की जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2019 द्वारा स्वीकार कर ली । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 पारित करते समय बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की । राज0काश्त0अधि0 के विपरीत जाकर तहसीलदार से प्रस्ताव व मौका रिपोर्ट गलत पेश करवाई गई एवं नियमों के विपरीत जाकर कार्यवाही की तथा मौके पर अपीलांट के काबिज रकबे अनुसार बंटवारा रिपोर्ट नहीं बनाकर गलत तथ्यों एवं कानून के विपरीत जाकर अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित की है। अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 ने आपस में मिलीभगत कर दुर्भिसंधी कर आदेश व डिक्री पारित करवाया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट में उपस्थित समस्त पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया । अपीलांट को इसकी कोई जानकारी नही थी । हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा लिखित बहस ममें समस्त दस्तावेज पेश कर निवेदन किया लेकिन हाजा न्यायालय ने निर्णय में अपीलांट की कोई बहस अंकित नहीं की जबकि अपीलांट ने समस्त तथ्यों न्यायिक नजीरों सहित हाजा न्यायालय को अवगत कराया था । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण के समस्त पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया इसलिये गुणावगुण पर समस्त तथ्यों की जांच कर सही विश्लेषण कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा बिना तनकियात कायम किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांट द्वारा कभी भी रकबे

को कम करने हेतु सहमति नही दी थी । अधी0न्याया0 ने अपीलांट की पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय व पारित की है । दिनांक 1.4.2012 को नायब तहसीलदार बिजयनगर के आदेश क्रमांक एओएल/11/820 दिनांक 3.10.2011 डिक्री आदेश उपखण्ड अधिकारी, मसूदा की पालना में खसरा नंबर 355/2 रकबा 35 बीघा 15 बिस्वा 5 बिस्वांसी की मौका रिपोर्ट सभी खातेदारों की उपस्थिति में अपीलांट का मौके पर कब्जा 18 बीघा 3 बिस्वा जौ मौका पर्चा मौके पर हरलाल, गिरधारी गवाह की उपस्थिति में बनाया गया के बावजूद आदेश दिनांक 3.6.2010 में एकपक्षीय रूप से अपीलांट का कब्जा 10 बीघा भूमि पर ही बताकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह कर गलत निर्णय पारित करवाया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जिसे हाजा न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24.4.2019 द्वारा स्वीकार कर अधी0न्याया0 के द्वारा पारित निर्णय व संशोधित डिक्री को निरस्त किया है जिसके पश्चात् प्रार्थी को उनके अधिवक्ता ने कानूनी राय दी कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील करनी होगी । तत्पश्चात् प्रार्थी ने आवश्यक दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अविलंब यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट ने भारी मियाद बाहर यह अपील पेश की है । इतने वर्षो का विलंब क्षम्य योग्य नहीं होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व संशोधित डिक्री दिनांक 18.8.2011 के विरूद्ध अपील संख्या 164/2015 दिनांक 24.4.2019 को हाजा न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.2011 निरस्त की गई एवं प्रार्थना पत्र 151 व 152 जा0दी0 दिनांक 15.5.2011 भी निरस्त किया गया । अपीलांट द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 वाद संख्या 46/2006 स्वरूपी बनाम हरलाल के विरूद्ध यह अपील पेश की है जिसमें मुख्य तर्क यह है कि अधी0न्याया0 द्वारा अंतिम डिक्री तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया एवं कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 19.4.2010 नायब तहसीलदार, मसूदा द्वारा तैयार की गई है जो अविधिक है । कानूनन कुरेजात रिपोर्ट स्वंय तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारान को नोटिस देकर, उनकी मौजूदगी में तैयार की जाकर अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा मात्र नायब तहसीलदार की कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जो अविधिक है । उक्त रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील

अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद को विधिनुसार गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर